न्यायालय : सहायक ... अनुराग ... मु.नं. 245/13

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| 9/5/18 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। आईन्दा पत्रावली ... दिनांक 19/6/18 को पेश हो। |
| 04 09/18 | हड़ताल पेशी व अवकाश होने पर पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 22/11/18 को पेश हो। |
| 25 04/19 | हड़ताल पेशी देने पर पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 08/08/19 को पेश हो। |
| 08 08/19 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 17/10/19 को पेश हो। |
| 17 10/19 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 17/12/19 को पेश हो। |
| 17 12/19 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जवाब प्रा०पत्र दिनांकित 19/02/18 को अभिलेख पर लिया जाता है। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को तादौराने फैसला वाद आज्ञप्ती निषेधाज्ञा से पाबंद |

(मोहर: ... न्यायालय ...)

Scanned by CamScanner

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|

फरमाया जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब पत्र पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्र पत्र ही आई खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकॉर्ड खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगण को तादौराने फैसल वाद विवादाग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी के उत्तरी तरफ लगी सौकड़ो वर्ष पुरानी खाम डोल को नष्ट नहीं करे, ना ही अन्य किसी से कखाये, ना ही डोल तोड़कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत पैदा करे, ना ही अन्य किसी से कखाये तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग-उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | ना आ हुक |
|---|---|---|
| | करे एवं ना ही बेदखल करें, ना ही रेहन।<br>कोई कृत्य करे या करावें जिससे प्रार्थीगण<br>के विधिक हक हकूक पर कोई विपरीत<br>असर पड़ता हो। पत्रावली कैफल शुमार<br>होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील<br>दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक<br>17/12/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में<br>सुनाया गया।<br><br>(रणजीत सिंह)<br>सहायक कलक्टर<br>(फास्ट ट्रैक) खण्डेला | |